राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

1977-78

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल

जे–2/37 महावीर मार्ग, 'सी' स्कीम
जयपुर–302001

(वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष अप्रेल, 1977 से मार्च 1978 तक)

1. परिचय :

स्वन्त्रता के पश्चात् अन्य प्रान्तों की भांति राजस्थान में भी औद्योगिकरण की दृष्टि से काफी प्रगति हुई है । कुछ स्थानों पर जैसे, कोटा, उदयपुर, खेतड़ी, अलवर, जोधपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर आदि में काफी बड़ी क्षमता के उद्योग स्थापित हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी जैसे पाली, बालोतरा, बीकानेर, ब्यावर, किशनगढ़, भीवाडी आदि में भी काफी संख्या में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हो चुके हैं । प्रायः सभी नगरों में नयी बस्तियों का निर्माण होता जा रहा है । इस प्रकार के दिनोंदिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण तथा नगरीयकरण के कारण मल या व्यावसायिक बहिः स्राव का मल का कुप्रभाव भी स्थान स्थान पर बढता जा रहा है । राज्य में सतही एवं भुमिगत जल की सीमित उपलब्धि होने के कारण जल के सभी स्रोतों की मानव द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल सतत् प्रयत्नशील है और वित्तीय वर्ष 1977–78 का अपना यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है ।

2. राज्य मण्डल का गठन :

देश के जल स्रोतों की उपयोगिता बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिघोषित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 27 (5) पी. एच./75/जी. आर. 111, दिनांक 7–5–75 के द्वारा मण्डल का गठन किया था । मण्डल के गठन के समय तथा दिनांक 31–3–1978 को मण्डल के सदस्यों की सूची, वर्ष में परिवर्तनों के साथ अनुबन्ध-1 में उपलब्ध है । मण्डल कार्यालय में दिनांक 31–3–78 तक स्वीकृत विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों का विवरण अनुबन्ध-2 में उपलब्ध है ।

3. राज्य मण्डल द्वारा समितियों का गठन :

राज्य मण्डल द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित समितियों ने वर्ष 77–78 में मण्डल के काम में सहायता प्रदान की । समितियों के सदस्यों की सूची अनुबन्ध-3 में उपलब्ध है ।

(क) प्रावैधिक समिति :

इस नौ सदस्यीय समिति का गठन अधिनियम की धारा 17 (1) में उल्लेखित कार्यों का सम्पादन करने, निर्माण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने, तथा अध्यक्ष की निर्धारित क्षमता के बाहर की निविदाओं की स्वीकृति देने एवं अधिनियम की धारा 25–26 व 27 के अनुसार वाहित मल/व्यापारिक उच्छिष्ठ के निस्तार की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिये किया गया है ।

समिति की वर्ष में 9 बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें प्राय: सभी सदस्यों ने भाग लिया और औसतन उपस्थिति 65 प्रतिशत रही। समिति द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये वह निम्न प्रकार है :

1. 214 उद्योगों को अधिनियम की धारा 25/26 के अनुसार अपने निस्राव को बहाने की अस्थायी सम्मति प्रदान की गई और उन्हें निर्धारित समय में प्रदूषित उच्छिष्ठों के उपचार-संयत्र की व्यवस्था करने और उसे चालू करने के लिए आवश्यक समय दिया गया। समिति ने 2 अन्य उद्योगों को उनके उच्छिष्ठ के पेरामीटर्स निर्धारित मानको की सीमा में होने के कारण स्थायी सम्मति प्रदान की।

2. 12 उद्योगों से प्राप्त सम्मति आवेदन पत्रों को अधिनियम की धारा 25 (2) में अंकित सूचनाओं की अपूर्णता के कारण अस्वीकृत किया गया और अपेक्षित सूचना के साथ पुन: प्रस्तुत करने के पश्चात् उन पर समय समय पर विचार किया गया।

3. 276 उद्योगों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर पूर्व निर्धारित समय में उच्छिष्ठ के उपचार की व्यवस्था विशेष कारणोवश नहीं होने की स्थिति में निर्धारित अवधि बढाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. उद्योगों को लगातार समझाते रहने के बावजूद जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण धारा 43/44 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।

(ख) वित्तीय समिति :

इस पांच सदस्यीय समिति का गठन अधिनियम की धारा 37 (2), 38, 39 व 40 में उल्लेखित कार्यों का सम्पादन करने और नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये किया गया है।

समिति की वर्ष में 2 बैठके सम्पन्न हुई जिसमें एक सदस्य श्री के. एल. जैन के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने भाग लिया। समिति द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये वह निम्न प्रकार है:—

1. मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण रहित लेखों 1976-77 का अनुमोदन किया गया।
2. मण्डल के वर्ष 1977-78 के संशोधित बजट रुपये 7, 43.000/–व वर्ष 1978-79 के अनुमानित बजट रुपये 10, 79, 700/–का अनुमोदन किया गया।
3. मण्डल के आय-व्ययक प्रावधानों को और वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) चयन समिति :

राज्य मण्डल के प्रस्ताव संख्या 2-5 के अन्तर्गत गठित वरिष्ठ पदों की चयन समिति की एक एवं कनिष्ठ पदों की चयन समिति की 13 बैठकें आयोजित की गई और उनके द्वारा विभिन्न पदों पर अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन किया गया।

(घ) मानक समिति :

इस सात सदस्यीय समिति का गठन घरेलू अथवा व्यवसायिक उच्छिष्ठ के विभिन्न पेरामीटर्स हेतु मानक तथा उनकी जांच पद्धति निश्चित करने हेतु किया गया है। वर्ष में इस समिति की कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुई। समिति की पूर्व बैठकों के निर्णयानुसार मण्डल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है।

(ङ) परिसीमांकन समिति :

इस छ: सदस्यीय समिति का गठन अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत उन क्षेत्रों के परिसीमांकन के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये किया गया जिसमें अधिनियम लागू किया जाय। वर्ष में इस समिति को कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुई। समिति की पूर्व बैठक के निर्णयों को मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाकर राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

4. राज्य मण्डल की बैठकें:—

वर्ष में राज्य मण्डल की पांच बैठकें क्रमश: 11 अप्रेल 77, 8 जुलाई 77, 7 अक्टूबर 77, 4 नवम्बर 77, तथा 4 फरवरी

1978 को सम्पन्न हुई जिनमें निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:—

1. 215 उद्योगों को अस्थायी एवं 2 उद्योगों को स्थायी सम्मति की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखों की स्वीकृति प्रदान की गई।
3. संशोधित आय व्ययक अनुमान 1977–78 एवं आय–व्ययक अनुमान 1978-79 की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. मण्डलीय प्रयोगशाला में उद्योगों से मात्र रुपये 150/-लेकर उनके उच्छिष्ठों का 24 विभिन्न पैरामीटर्स के अन्तर्गत परीक्षण सम्भावित करने का निर्णय लिया गया।
5. राज्य मण्डल में समय समय पर स्वीकृत अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों को स्थायी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6. मण्डल के अधिकारियों को कार्य संचालन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रतिनियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. अधिनियम की धारा 17 (1) में उल्लेखित मण्डल के विभिन्न कार्य कलापों का विवरण :

1. राज्य में स्थित स्थानीय निकायों एवं विभिन्न उद्योगों के मण्डलीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगभग 331 निरीक्षण किये और इस दौरान अधिनियम के प्रावधानों से प्रबन्धकों को अवगत कराया तथा अधिनियम की धारा 25-26 के अन्तर्गत सम्मति आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में भी आवश्यक सलाह दी गई।
2. मण्डलीय प्रयोगशाला में विश्लेषण के उद्देश्य से क्षेत्रस्थ कर्मचारियों द्वारा विभिन्न इकाइयों से उच्छिष्ठों के 481 नमूने संग्रह किये गये।
3. मण्डलीय प्रयोगशाला में संग्रहित नमूनों में से 464 नमूनों का विश्लेषण सम्पूर्ण किया गया।
4. राज्य में स्थित उद्योगों की सूची के सकंलन का महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जल प्रदूषण सम्बन्धी उद्योग का प्रारूप, दूषित जल की मात्रा व अभिलक्षण आदि का विवरण संकलित किया गया है।
5. तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा औद्योगिक उच्छिष्ठों के मितव्ययी उपचार हेतु निर्देश रेखायें तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जिसके फलस्वरूप लघु इकाइयों को उपचार व्यवस्था करने में काफी सहायता प्राप्त हुई।
6. राज्य मण्डल के सतत् प्रयत्नों व सलाह के फलस्वरूप लगभग 63 लघु एवं बड़े उद्योगों द्वारा उपचार संयत्र स्थापित कर दिये गये हैं तथा 72 अन्य उद्योगों में कार्य चल रहा है। पाली में स्थित रंगाई छपाई के उद्योगों से वाहित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु राजस्थान खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से संयुक्त उपचार सयंत्र लगाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके लिये काफी उद्योगों द्वारा संयत्र की लागत का अपना-अपना भाग अग्रिम जमा करा दिया गया है। कोटा में स्थित श्रीराम कैमीकल इन्डस्ट्रीज द्वारा भारी मात्रा में जो दूषित जल कन्सुआ नाला से चम्बल नदी में वाहित किया जाता था उसे काफी सीमा तक उद्योग द्वारा अब शुद्धिकरण किया जाकर वाहित किया जा रहा है। एक अन्य उद्योग मैसर्स मल्टी मेटल्स द्वारा भी शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार जयपुर में स्थित नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज द्वारा भी उससे वाहित दूषित जल के लिये उपचार संयत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे अमानीशाह नाले में प्रदूषण कम होना सम्भव हो सकेगा।
7. केन्द्रीय मण्डल के निर्णयानुसार जमुना बेसिन के परिविक्षण के कार्य के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के साथ-साथ मण्डल द्वारा चम्बल नदी के पाली की मोनिटरिंग का तथा अन्य आवश्यक सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा है।
8. केन्द्रीय मण्डल एवं विश्व स्वास्थ्य संस्थान की प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत राज्य के कुछ विशेष महत्व के जल स्रोतों के प्रदूषण से रक्षा के सिलसिले में उनके निरन्तर परिविक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया।
9. मण्डल द्वारा एक त्रैमासिक पर्यावरण समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया जिसके द्वारा प्रदूषण सम्बन्धित जानकारी एवं मुख्य सूचनाऐं प्रकाशित की जाती है।

6. अभियोजना व दोषसिद्धि :—

मण्डल द्वारा दूषित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु विभिन्न उद्योगों को बार बार प्रेरित कर और उन्हें प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में शिक्षित कर सामान्यतया इस प्रकार की नीति अपनाई है जिससे राज्य के औद्योगिकरण में भी रुकावट उत्पन्न नहीं हो और साथ ही जल प्रदूषण में लगातार कमी हो सके। इस नीति से अधिकतर उद्योग सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित अवधि में उपचार संयत्र स्थापित करने की वचनबद्धता प्रस्तुत की है।

मण्डल द्वारा बार बार समझाने के बावजूद कुछ एक उद्योग सहयोग नहीं दे रहे हैं। अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के फलस्वरूप मण्डल ने अधिनियम की धारा 43/44 के अन्तर्गत निम्न लिखित उद्योगों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है :—

1. मैसर्स राजस्थान सुराना पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, पाली।
2. मैसर्स प्रीमीयर पेपर व बोर्ड मिल्स, कोटा।
3. मैसर्स प्रीमीयर वेजीटेबिल प्रोडेक्टस लिमिटेड, जयपुर।

7. राज्य मण्डल की वित्तीय स्थिति के लेखे :—

राज्य सरकार ने वर्ष 1977–78 के लिये रुपये आठ लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की थी। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 40 (3) के अन्तर्गत मैसर्स बी. खोसला एण्ड कम्पनी को अपने पत्र क्रमांक एफ 27 (52) एम. पी. एच./75/जी. आर.-4 दिनांक 2 अगस्त 1978 द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया है। अंकेक्षण होना अभी शेष हैं। अतः अंकेक्षित रहित लेखों की प्रति संलग्न है।

8. राज्य मण्डल में विशेषज्ञों का आगमन :—

डा० बी० बी० सुन्दरसन निदेशक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसन्धान संस्थान, नागपुर तथा डा. निलय चौधरी अध्यक्ष केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल दिल्ली का आगमन हुआ। उक्त विशेषज्ञों को विभिन्न कार्यकलापो से अवगत कराया गया और अनेक समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ।

(के. एल. गोयल)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल

जे–2/37 महावीर मार्ग, 'सी' स्कीम, **जयपुर**–302001

अनुबन्ध–1

	फरवरी 1975 को मण्डल के सदस्य	**31–3–1978 को मण्डल के सदस्य**
अध्यक्ष	1. श्री आई. डी. भार्गव	श्री आई. डी. भार्गव
राजकीय सदस्य	2. श्री पी. एस. राजवंशी मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।	श्री पी. एस. राजवंशी मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।
	3. श्री आर. एल. मिश्रा, निदेशक, उद्योग एवं सिविलपूर्ति विभाग, जयपुर ।	श्री उम्मेद सिंह, निदेशक, उद्योग एवं सिविलपूर्ति विभाग, जयपुर ।
	4. डा. पी. डी. माथुर, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर ।	डा. आर. आर. पुरोहित, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ।
	5. श्री मनोहर लाल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	श्री मनोहर लाल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
	6. श्री जे. एन. माथुर, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।	श्री शिव चरण शर्मा, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
स्थानीय निकायों के सदस्य	7. प्रशासक, नगर परिषद, कोटा	प्रशासक, नगर परिषद, कोटा ।
	8. प्रशासक, नगर परिषद, जयपुर ।	प्रशासक, नगर परिषद, जयपुर ।
	9. प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर ।	प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर ।
	10. प्रशासक, नगर परिषद, उदयपुर ।	प्रशासक, नगर परिषद, उदयपुर ।
	11. प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर ।	प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर ।
अराजकीय सदस्य	12. महा प्रबन्धक, श्री राम कैमीकल्स उद्योग, श्रीराम नगर, कोटा	महा प्रबन्धक, श्रीराम कैमीकल्स उद्योग श्रीराम नगर, कोटा ।
	13. अध्यक्ष, लघु उद्योग परिषद संघ, जयपुर ।	अध्यक्ष, लघु उद्योग परिषद संघ, जयपुर ।
	14. श्रीमती नगेन्द्रबाला, विधायिका, जयपुर ।	श्री गिरधारी लाल भार्गव, विधायक, जयपुर ।
निगमों के सदस्य	15. श्री विजय सिंह, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जयपुर	श्री आर. के. शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जयपुर ।
	16. श्री के. के. सरीन, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।	श्री के. सी. मित्तल, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
सदस्य सचिव	17. श्री डी. एल. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता जिला वृत, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।	श्री एम. बी. जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल

जे–2/37, महावीर मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302001

अनुबन्ध—2

31-3-1978 को मण्डलीय कार्यालय में स्वीकृत पद

	नाम	पद	नाम	पद
तकनीकी शाखा	अधिशासी अभियन्ता	1	प्रारुपकार	1
	सहायक अभियन्ता	3	वाहन चालक	3
	कनिष्ठ अभियन्ता	6	सर्वे खल्लासी	8
प्रयोगशाला शाखा	वरिष्ठ रसायनिज्ञ	1	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	4
	रसायनिज्ञ	1	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	4
	कनिष्ठ रसायनिज्ञ	2	प्रयोगशाला परिचालक	2
	सहायक जीव वैज्ञानिक	1		
सामान्य, लेखा व प्रशासनिक शाखा	लेखाकार	1	वरिष्ठ लिपिक	2
	विधि सहायक	1	लेखा लिपिक	1
	कार्यालय अधीक्षक	1	शीघ्र टंकण लिपिक	1
	निजी सचिव अध्यक्ष	1	कनिष्ठ लिपिक	6
	शीघ्र लिपिक ग्रेड II	1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल

जे–2/37, महावीर मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302001

अनुबन्ध—3

31-3-1978 को मण्डल की समितियों की सदस्यता

		नाम	पद	
(1) प्रावैधिक समिति	1.	श्री आई. डी. भार्गव		अध्यक्ष
	2.	श्री पी. एस. राजवंशी	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।	सदस्य
	3.	श्री मनोहर लाल	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर।	सदस्य
	4.	श्री आर. आर. पुरोहित	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।	सदस्य
	5.	डा. बी. एस. गरुड़	महाप्रबन्धक, श्रीराम केमीकल्स उद्योग, श्रीरामनगर, कोटा।	सदस्य
	6.	श्री के. सी. मित्तल	आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।	सदस्य
	7.	श्री आर. के. शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	सदस्य
	8.	श्री वी. पी. थरगांवकर	वैज्ञानिक प्रभारी, राष्ट्रीय पर्याविरण अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्था, जयपुर।	सहायक सदस्य
	9.	श्री एम. बी. जैन		सदस्य सचिव

(2) वित्तीय समिति	1. श्री आई. डी. भार्गव		अध्यक्ष
	2. श्री उम्मेद सिंह	निदेशक, उद्योग एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर	सदस्य
	3. श्री शिव चरण शर्मा	निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर	सदस्य
	4. श्री के. एल. जैन	अध्यक्ष, लघु उद्योग परिषद संघ	सदस्य
	5. श्री एम. बी. जैन		सदस्य सचिव
(3) मानक समिति	1. श्री आई. डी. भार्गव		अध्यक्ष
	2. श्री मनोहर लाल	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग जयपुर।	सदस्य
	3. डा. आर. आर. पुरोहित	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।	सदस्य
	4. श्री उम्मेद सिंह	निदेशक, उद्योग एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर।	सदस्य
	5. डा. बी. एस. गरुड़	महाप्रबन्धक, श्रीराम केमीकल्स उद्योग, श्रीरामनगर कोटा।	सदस्य
	6. श्री वी. पी. थिरगांवकर	वैज्ञानिक प्रभारी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्था, जयपुर।	सहायक सदस्य
	7. श्री एम. बी. जैन		सदस्य सचिव
(4) डिलिमिटेशन समिति	1. श्री आई. डी. भार्गव		अध्यक्ष
	2. श्री उम्मेद सिंह	निदेशक, उद्योग एवँ सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर।	सदस्य
	3. श्री पी. एस. राजवंशी	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर।	सदस्य
	4. श्री शिव चरण शर्मा	निदेशक, स्थानीय निकाय जयपुर।	सदस्य
	5. डा. बी. एस. गरुड	महाप्रबन्धक, श्रीराम केमीकल्स उद्योग, कोटा।	सदस्य
	6. श्री एम. बी. जैन		सदस्य सचिव
(5) वरिष्ठ पदों की चयन समिति	1. अध्यक्ष।		
	2. अध्यक्ष द्वारा मण्डल के एक सदस्य के नाम का मनोनयन करना।		
	3. अध्यक्ष द्वारा विशेषज्ञ व्यक्ति के नाम का मनोनयन करना।		
	4. सदस्य सचिव।		
(6) कनिष्ठ पदों की चयन समिति	1. सदस्य सचिव।		
	2. अध्यक्ष द्वारा दो व्यक्तियों के नाम का मनोनयन करना।		

RAJASTHAN STATE BOARD FOR PREVENTION
AND
CONTROL OF WATER POLLUTION

J-2/35, MAHAVEER MARG, 'C' SCHEME
JAIPUR

Annual Statement of Un-Audited Accounts of the State Board for the year

1977-78

Rajasthan State Board for Prevention

Receipts and Payments for

(See

Previous Year	RECEIPTS	Amount
1,10,080.56	**Opening Balance**	60,553.16
	(I) 1. Grants received	
3,95,000.00	(a) From Government	7,60,000.00
Nil	(b) From other agencies	Nil
Nil	(II) 2. Fees	Nil
Nil	(III) 3. Fines & Forfeitures	Nil
Nil	(IV) 4. Interest on investment	Nil
2,925.00	(V) 5. Miscellaneous receipts	3,499.90
1,585.71	(VI) 6. Miscellaneous advance (this year outstanding) =Rs. 11,180.23) *Less :* last year un-paid =Rs. 6,037.03	5,143.20
958.00	(VII) 7. Deposits	5,395.2

and Control of Water Pollution

the year ended on 31st March, 1978

Rule 23)

Previous Year	PAYMENTS	Amount
	1. Capital Expenditure	
Nil	(i) Works	Nil
Nil	(ii) Fixed Assets	Nil
Nil	(iii) Other Assets	Nil
28,500.18	(a) Laboratory Equipment	65,361.91
7,644.20	(b) Vehicles	55,526.82
6,050.32	(c) Furniture & Fixtures	8,442.50
6,491.90	(d) Scientific Instruments & Office Appliances	11,491.33
4,190.56	(e) Tools and Plants	5,059.27
	2. Revenue Expenditure	
	(a) *Administrative :*	
85,966.05	(i) Pay of Officers	1,23,983.39
1,02,754.69	(ii) Pay of Establishment	1,93,526.21
80,013.53	(iii) Allowance & Honoraria	71,205.40
21,997.65	(iv) Leave Salary & Pension Contribution	38,407.85
65,596.99	(v) Contingent expenditure	81,009.16
	Deduct recoveries	
14,148.92	(b) (i) Board Laboratory	25,420.22
Nil	(ii) Charges to be paid to the Central Water Laboratory	Nil
20,900.17	(c) Running & Maintenance of Vehicles	29,956.83
	(d) *Maintenance & Repairs*	
Nil	(i) Building & land drainage including rents, if any	Nil
Nil	(ii) Works	Nil
409.00	(iii) Furniture & Fixture	Nil
Nil	(iv) Scientific instruments & Office Appliances	3,275.00
Nil	(v) Tools & Plants	Nil
Nil	(vi) Temporary Works (including maintenance and repairs)	Nil

Rajasthan State Board for Prevention

Receipts and Payments for

(See

Previous Year	RECEIPTS	Amount
5,10,549.27	TOTAL	8,34,591.46

(G. B. SHARMA)
Accountant

(K. L. GOEL)
Member-Secretary

FORM No. V

and Control of Water Pollution

the year ended on 31st March, 1978

Rule 23)

Previous Year	PAYMENTS	Amount
Nil	(e) Fees to Consultants & Specialists	Nil
248.40	(f) Law charges	434.10
Nil	(g) Miscellaneous	Nil
500.00	(h) Fees of Audit	1,500.00
Nil	3. Purchases	Nil
2,398.32	4. Miscellaneous	8,314.38
2,185.23	5. Advances	63.75
7,130.83	6. Deposits, Closing Balance, Cash in hand	16,003.11
53,422.33	Cash at P.D. a/c No. 192/315 at Jaipur Treasury	95,610.23
5,10,549.27	TOTAL	8,34,591.46

(G. L. MATHUR)
Chairman

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Income and Expenditure Account

(See

Previous Year	EXPENDITURE DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	REVENUE EXPENDITURE :		
	A. Administrative		
85,966.05	(i) Pay of Officers	1,23,983.39	
1,02,754.69	(ii) Pay of Establishment	1,93,526.21	
80,013.53	(iii) Allowance & Honoraria	71,205.40	3,88,715.0
2,68,734.27			
14,985.00	(iv) Leave salary & Pension Contribution		17,006.0
7,012.65	(v) Board's contribution to the Staff Provident Fund		21,401.8
65,596.99	(vi) Contingent expenditure as per receipts and payments	81,009.16	
	Add : OUTSTANDING EXPENDITURE		
Nil	(a) Stationery	35.00	
Nil	(b) Other items	Nil	
720.00	*Add :* Telephone installation charges written off during the year.	720.00	
66,316.99		81,764.16	
	Less : Prepaid expenditure		
1,182.50	Rent, Rates & Taxes	738,50	
—	Telephone	—	
65,134.49			
735.00	*Less :* Old outstanding expenditure	—	
64,399.49			
1,792.85	*Add :* Old prepaid expenditure	1,182.50	82,208
66,192.34	Total		

FORM No. VI

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Previous Year	INCOME DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	By :		
	(i) GRANT RECEIVED		
3,95,000.00	(a) From Government	7,60,000,00	
Nil	(b) From other agencies	Nil	
3,95,000.00	TOTAL	7,60,000.00	
	Less :		
33,300.00	Amount utilised for capital exp.	1,60,500.00	5,99,500.00
3,61,700.00	Net grant available for revenue expenditure		
Nil	(ii) Fees	Nil	
Nil	(iii) Service rental charges	Nil	
Nil	(iv) Fines & Forfeiture	Nil	
Nil	(v) Interest on investment	Nil	
2,925.00	(vi) Miscellaneous receipt	3,499.90	3,499.90
48,540.66	(vii) Excess of expenditure	Nil	

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Income and Expenditure Accounts

(See

Previous Year	EXPENDITURE DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	B. *Running Expenses of Laboratory*		
14,148.92	(i) Main laboratory as per Receipt & Payment A/c	25,420.22	
—	*Add :* Outstanding expenditure	455.08	
—	*Less :* Prepaid expenditure	—	
14,148.92			
46.00	*Less :* Old outstanding expenditure	—	
14,102.92			
100.00	*Add :* Old prepaid expenditure for the year 1976	100.00	
14,202.92	(ii) Payment to be made to the State Water Lab.	—	25,975.30
14,202.92			
20,900.17	**C.** *Running & Maintenance of Vehicles*	29,352.83	29,352.83
	D. *Maintenance & Repairs*		
—	(i) Building & Drainage	—	
—	(ii) Works	—	
409.00	(iii) Furniture & Fixtures	151.00	
—	(iv) Scientific instruments and office appliances	—	
—	(v) Tools & Plants	—	
409.00		151.00	151.00
—	**E.** *Temporary works (including maintenance & repairs)*	—	
—	**F.** *Fees to Consultants & Specialists*	—	
248.40	**G.** *Law Charges*	434.10	434.10

FORM No. VI

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Previous Year	INCOME DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Income and Expenditure Accounts

(See

Previous Year	EXPENDITURE DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	H. *Depreciation*		
Nil	(i) Building	Nil	
7,646.20	(ii) Laboratory Equipment	11,978.17	
6,656.84	(iii) Vehicles	10,039.09	
3,058.07	(iv) Furniture & Fixture	3,708.41	
993.13	(v) Scientific instruments and office appliances	2,178.66	
626.67	(vi) Tools and Plants	1,168.82	
18,980.91		29,063.15	29,063.15
	I. *Miscellaneous* :		
Nil	(i) Written off losses (as per details in the statement attached)	Nil	
Nil	(ii) Other miscellaneous exp.	Nil	
1,500.00	J. *Fees for Audit*	1,500.00	1,500.00
Nil	K. *Excess of Income over Exp.*	7,192.51	7,192.51
4,13,165.66	TOTAL		6,02,999.90

(G. B. SHARMA)
Accountant

(K. L. GOEL)
Member-Secretary

FORM No. VI

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Previous Year	INCOME DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
4,13,165.66	**TOTAL**		6,02,999.90

(G. L. MATHUR)
Chairman

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Balance Sheet

(See

Capital & Liabilities

Previous Year	DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	A. Capital Funds		
	(i) Grants received from Government for Capital Expenditure		
1,83,078.21	(a) Amount utilised upto 31st March, 1978	3,06,575.76	
1,221.79	(b) Unutilised balance as on 31st March, 1978	38,224.24	
1,84,300.00		3,44,800.00	3,44,800.00
Nil	(ii) Grant from other agencies for Capital Expenditure	Nil	Nil
Nil	(a) Amount utilised upto 31st March, 1978	Nil	Nil
Nil	(b) Unutilised balance as on 31st March, 1978	Nil	Nil
Nil	(iii) Value of land provided by Government (per contra)	Nil	Nil
	B. Capital Receipts		
	C. (i) Deposits received for works from outside bodies		
Nil	(a) Deposits	Nil	
Nil	(b) Less : Expenditure		
600.00	(ii) Other deposits	5,077.70	5,077.70
	D. Amount due		
2,476.38	(i) Purchases	1,381.90	
8,395.03	(ii) Other	12,897.73	14,279.63
	E. Excess of income over expenditure		
95,405.57	(i) Upto 31st March, 1977	46,864.91	
—	(ii) Add : For the year	7,192.51	
48,540.66	(iii) Deduct : Excess of expenditure over income	Nil	54,057.42
46,864.91			

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Property & Assets

Previous Year	DETAILS		Total of Sub Head	Total of Major Head
Nil	**I. Works**		Nil	
	(as per Form VIII)			
	II. Fixed Assets			
Nil	(a) Value of land provided by Government (at cost)		Nil	
Nil	(b) Buildings		Nil	
Nil	Balance as per last Balance Sheet		Nil	
Nil	Additions during the year		Nil	
		Total	Nil	
Nil	*Less :* Depreciation during the year		Nil	
		Total	Nil	
	III. Other Assets (as per Form IX)			
25,351.95	(a) Laboratory equipment as per last Balance Sheet		46,548.72	
28,842.97	Additions during the year		65,361.91	
54,194.92		Total	1,11,910.63	
7,646.20	*Less :* Depreciation during the year		11,978.17	
46,548.72		Total	99,932.46	
65,017.02	(b) Vehicles as per last Balance Sheet		64,565.68	
6,205.50	Additions during the year		55,526.82	
71,222.52		Total	1,20,092.50	
6,656.84	*Less :* Depreciation during the year		10,029.09	
64,565.68		Total	1,10,063.41	

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Balance Sheet

(See

Capital & Liabilities

Previous Year	DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head

FORM No. VII

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Property & Assets

Previous Year	DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
29,180.01	(c) Furniture and Fixtures as per last balance sheet	32,172.26	
6,050.32	Additions during the year	11,566.50	
35,230.33	Total	43,738.76	
3,058.07	*Less* : Depreciation during the year	3,708.41	
32,172.26	Total	40,030.35	
9,608.24	(d) Scientific Instruments and Office appliances as per Balance Sheet	12,492.61	
3,877.50	Additions during the year	14,057.33	
13,485.74	Total	26,549.94	
993.13	*Less :* Depreciation during the year	2,178.66	
12,492.61	Total	24,371.28	
1,814.81	(e) Tools and Plants as per last Balance Sheet	5,640.04	
4,451.90	Additions during the year	6,048.14	
6,266.71	Total	11,688.18	
626.67	*Less :* Depreciation during the year	1,168.82	
5,640.04	Total	10,519.36	
	Total a, b, c, d & e		2,84,916.86
	IV. Sundry Debtors		
Nil	(i) Amounts due from outside bodies for expenditure incurred; expenditure	Nil	
Nil	*Less :* Amount received	Nil	
Nil	(ii) Other Sundry Debtors	Nil	
Nil	Total	Nil	
	V. Advances		
2,458.30	(a) Miscellaneous advances	1,822.05	
18,205.55	(b) Other amount recoverable	19,862.50	
20,663.85	Total	21,684.55	21,684.55

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Balance Sheet

(See

Capital & Liabilities

Previous Year	DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
2,42,636.32	TOTAL		4,18,214.75

(G. B. SHARMA)
Accountant

(K. L. GOEL)
Member-Secretary

FORM No. VII

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Rule 23)

Property & Assets

Previous Year	DETAILS	Total of Sub Head	Total of Major Head
	Cash		
Nil	(a) Notice/Short-Term Deposit	Nil	
7,130.83	(b) Cash in hand	16,003.11	
53,422.33	(c) Cash at bank/P.D. A/c No. 192/315	95,610.23	
Nil	(d) Cash in transit	Nil	
60,553.16	**Total**	1,11,613.34	1,11,613.34
2,42,636.32	Grand Total		4,18,214.75

(G. L. MATHUR)
Chairman

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

Expenditure on Works

(Item I Assets of the

(See

S.No.	Name of Works	Upto 31st March, 1977		
		Direct Expenditure	Overhead Charges	Total Expenditure
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(G. B. SHARMA)
Accountant

(K. L. GOEL)
Member-Secretary

FORM No. VIII

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

as on 31st March, 1978

Balance Sheet)

Rule 23)

During the Year 1977-78			Upto 31st March, 1978		
Direct Expenditure	Overhead Charges	Total Expenditure	Direct Expenditure	Overhead Charges	Total Expenditure
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(G. L. MATHUR)
Chairman

Rajasthan State Board for Prevention

ANNUAL STATEMENT

(Se

Fixed Assets as on 31st March, 1978
Other Assets as on 31st March, 1978

S. No.	PARTICULARS OF ASSETS	Balance as on 31st March, 1977	Additions during the Year	Totals
1.	Laboratory Equipments	46,548.72	65,361.91	1,11,910.6
2.	Vehicles	64,565.68	55,526.82	1,20,092.5
3.	Furniture & Fixtures	32,172.26	11,566.50	43,738.7
4.	Scientific Instruments and Office Appliances	12,492.61	14,057.33	26,549.9
5.	Tools and Plants	5,640.04	6,048.14	11,688.1
	TOTALS	1,61,419.31	1,52,560.70	3,13,980.0

(G. B. SHARMA)
Accountant

(K. L. GOEL)
Member-Secretary

FORM No. IX

and Control of Water Pollution

OF ACCOUNTS

Rule 23)

(Item No. 2 Assets of the Balance Sheet)
(Item No. 3 Assets of the Balance Sheet)

Depreciation During the Year (on monthly basis)	Sale or Write-off During the Year	Balance as on 31st March, 1978	Cumulative Depreciation as on 31st March, 1978
11,978.17	—	99,932.46	20,310.02
10,029.09	—	1,10,063.41	21,877.77
3,708.41	—	40,030.35	8,549.47
2,178.66	—	24,371.28	3,752.82
1,168.82	—	10,519.36	1,995.49
29,063.15	—	2,84,916.86	56,485.57

(G. L. MATHUR)
Chairman

WATER POLLUTING INDUSTRIES OF RAJASTHAN